न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 157/2024

अनवान : –

1. रमेश कुमार पुत्र बिरजाराम जाति मेघवाल निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. भागी पत्नी बिरजाराम जाति मेघवाल निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
2. सुखी देवी पुत्री बिरजाराम पत्नी पृथी जाति मेघवाल निवासी चैनपुरा हाल निवासी नाथुसरी कला तहसील नाथुसरी चौपटा जिला सिरसा।
3. सुन्दर कौर पुत्री बिरजाराम पत्नी रामेश्वर जाति मेघवाल निवासी चैनपुरा हाल निवासी नाथुसरी कला तहसील नाथुसरी चौपटा जिला सिरसा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **वादी**
श्री मांगीराम बैनीवाल अधिवक्ता प्रतिवादीगण
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 05/03/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चैनपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 194/190 की कुल 9.7620 हैक्ट भूमि में से 784/1627 वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के पिता व प्रतिवादी संख्या 1 के पति बृजाराम पुत्र जीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। बृजाराम पुत्र जीराम का देहान्त हो चुका है बृजाराम पुत्र जीराम के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है तथा रोही मौजा भगवानसर तहसील नोहर के खाता संख्या 48/40 की कुल 10.7490 हैक्ट भूमि में से 2710/10749 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि बाबत पक्षकारान का बाहमी राजीनामा हो चुका है मुताबिक बाहमी राजीनामा रोही मौजा चैनपुरा की वाद भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने अपना समस्त हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है तथा रोही मौजा भगवानसर की वाद भूमि मे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपना समस्त हक हिस्सा प्रतिवादीया संख्या 3 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग रोही मौजा चैनपुरा की वाद भूमि पर वादी अकेला काबिज है तथा रोही मौजा भगवानसर की वाद की वाद भूमि पर प्रतिवादीया संख्या 3 अकेली काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:22:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2077–80 रोही मौजा चैनपुरा खताा संख्या 194/190, रोही मौजाा भगवानसर तहसील नोहर के खाता संख्या 48/40 व शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में रोही मौजा चैनपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 194/190 की कुल 9.7620 हैक्ट भूमि में से 784/1627 वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के पिता व प्रतिवादी संख्या 1 के पति बृजाराम पुत्र जीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा भगवानसर तहसील नोहर के खाता संख्या 48/40 की कुल 10.7490 हैक्ट भूमि में से 2710/10749 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि बाबत पक्षकारान का बाहमी राजीनामा हो चुका है मुताबिक बाहमी राजीनामा रोही मौजा चैनपुरा की वाद भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने अपना समस्त हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है तथा रोही मौजा भगवानसर की वाद भूमि मे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपना समस्त हक हिस्सा प्रतिवादीया संख्या 3 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग रोही मौजा चैनपुरा की वाद भूमि पर वादी अकेला काबिज है तथा रोही मौजा भगवानसर की वाद की वाद भूमि पर प्रतिवादीया संख्या 3 अकेली काबिज है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया जा चुका [illegible] वादी के वाद में संबंध में किसी को कोई ऐतराज नही है अतः वादी का [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:22:58 IST
Reason: SelfAttested

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी [illegible] दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चैनपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 194/190 की कुल 9.7620 हैक्ट भूमि में से 784/1627 वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के पिता व प्रतिवादी संख्या 1 के पति बृजाराम पुत्र जीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उभयपक्ष ने उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी का कथन है कि बृजाराम पुत्र जीराम का देहान्त हो चुका है बृजाराम पुत्र जीराम के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 है जो की वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है उक्त वाद भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने अपना समस्त हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है तथा रोही मौजा भगवानसर तहसील नोहर के खाता संख्या 48/40 की कुल 10.7490 हैक्ट भूमि में से 2710/10749 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त खाता की भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 ने अपना समस्त हक हिस्सा प्रतिवादीया संख्या 3 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा स्वीकार करते हुए जरिये अधिवक्ता इकबाल जवाब पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा वारिसान बाबत शपथ पत्र पेश किया गया। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भगवानसर तहसील नोहर के खाता संख्या 48/40 की कुल 10.7490 हैक्ट भूमि में से 2710/10749 हिस्सा भूमि में वादी का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादीया संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा मौजा चैनपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 194/190 की कुल 9.7620 हैक्ट भूमि में से 784/1627 भूमि मे मृतक बृजाराम पुत्र श्रीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/03/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:22:58 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 157 / 2024

अनवान : –

1. रमेश कुमार पुत्र बिरजाराम जाति मेघवाल निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. भागी पत्नी बिरजाराम जाति मेघवाल निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
2. सुखी देवी पुत्री बिरजाराम पत्नी पूरथी जाति मेघवाल निवासी चैनपुरा हाल निवासी नाथुसरी कला तहसील नाथुसरी चौपटा जिला सिरसा।
3. सुन्दर कौर पुत्री बिरजाराम पत्नी रामेश्वर जाति मेघवाल निवासी चैनपुरा हाल निवासी नाथुसरी कला तहसील नाथुसरी चौपटा जिला सिरसा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 157 सन 2024 निर्णय दिनांक - 05/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मदन मोहन जोशी व वकील प्रतिवादीगण श्री मांगीराम बैनीवाल एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भगवानसर तहसील नोहर के खाता संख्या 48 / 40 की कुल 10.7490 हैक्ट भूमि में से 2710 / 10749 हिस्सा भूमि में वादी का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादीया संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा मौजा चैनपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 194 / 190 की कुल 9.7620 हैक्ट भूमि में से 784 / 1627 भूमि मे मृतक बृजाराम पुत्र श्रीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:22:58 IST
Reason: SelfAttested